राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सचिवालय
9वॉ तल ए–विंग, आई. पी. एस्टेट नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 142
दिनांक :– 21/03/2018
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा
क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क.	क्या यह सत्य है कि सरकार का क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट 2010 लागू करने का इरादा है?	जी नहीं ।
ख.	यदि हॉ तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं है ।
ग.	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;	कई हितधारकों को क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट 2010 की कुछ धाराओं से आपत्ति है, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत करवा दिया गया था । इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि एक ऐसे अधिनियम का गठन होना चाहिए जिसमें उपरोक्त त्रुटियां ना हो, फलस्वरूप दिल्ली हेल्थ बिल, 2016 का प्रारूप तैयार किया गया है जिसे एक कमेटी द्वारा समयबद्व तरीके से फाईनल किया जा रहा है ।
घ.	क्या सरकार अस्पतालों के निरिक्षण करने का नियम पुनः लागू करने का इरादा रखती है;	दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 की धारा 9 के तहत किसी भी निजी अस्पताल तथा नर्सिंग होम का नियमित तथा औचक निरीक्षण किया जा रहा है । सरकार किसी भी अस्पताल का नियमित तथा औचक निरीक्षण करती है ।
ड	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं है ।
च	इस समय कौन से अधिनियम के अन्तर्गत अस्पताल व नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं; और	इस समय दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियम तथा उसके बाद समय.समय पर किये गये संसोधन के आधार पर प्राइवेट अस्पताल तथा नर्सिंग होम चलाये जा रहे है ।
छ	क्या वर्तमान नियम व कायदे अस्पतालों व नर्सिंग होम्स की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त हैं ?	जी नहीं ।

(राजीव यदुवंशी)
प्रधान सचिव
Raajiv Yaduvanshi
Pr. Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
Health & Family Welfare Deptt.
दिल्ली सरकार
Govt. of NCT of Delhi
9th Level, Delhi Sectt., New Delhi